न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–4 गाजियाबाद।

उपस्थित–शिव कुमार तिवारी, उ०प्र०उच्चतर न्यायिक सेवा।

विविध सिविल अपील सं०–21/2019

विनोद कुमार............... बनाम ....युसुफ आदि।

दिनांक 07–07–2023

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या–45(क) इस विविध अपील के अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया गया है कि अपीलार्थी श्री विनोद कुमार पुत्र रामसुख के द्वारा यह विविध अपील प्रस्तुत की गई थी, जिनका स्वर्गवास दिनांक 06–11–2022 को हो गया है। मृतक विनोद के तीन वैध वारिस हैं, जिनका उल्लेख प्रार्थना पत्र में है। वारिसान के संबंध में अपील मेमो में संशोधन की अनुमति दी जाए।

अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र 45(क) प्रार्थना पत्र 46(ग) से समर्थित है। अपीलार्थी की ओर से विनोद कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसमें उनकी मृत्यु की तिथि 06–11–2022 उल्लेखित है, प्रस्तुत किया गया है। यह प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 11–01–2023 को प्रस्तुत किया गया है।

विपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र 45(क) पर मौखिक आपत्ति की गई है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र प्रतिस्थापन से संबंधित है। वह प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र से समर्थित है तथा अन्दरमियाद है इसलिए स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 45(क) स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह अपील मेमो पर किया गया संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते दिनांक 27–07–2023 को पेश हों।

(शिवकुमार तिवारी)

दिनांक 07–07–2023

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4
गाजियाबाद।